



डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 31 / फा0सं0-240 / का0ज्ञाप / DSMNRU / 2024-25

दिनांक: 07 अप्रैल, 2025

// कार्यालय ज्ञाप //

मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक 06/2025/364/ तीस-3-2025 दिनांक 11.02.2025 द्वारा कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के सम्बंध में निर्गत आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त शासनादेश के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकवृन्द, कार्मिकों, अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त शासनादेश में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
4. संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ को पत्रांक 292/पीए-आरटीओ/सड़क सुरक्षा/2025 दिनांक 28.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
5. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
7. समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 06 /2025/364/तीस-3-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2025

विषय कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है।

2. उक्त बैठक में मा० अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि :-

- (1) उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
- (2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।
- (3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके

- अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।
- (4) सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय संगठनों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।
- (5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
- (6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।
- (7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।
- (8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

भवदीय,

Signed by
(मनीज कुमार सिंह)
Manoj Kumar Singh
मुख्य सचिव
Date: 09-02-2025 14:40:52

संख्या- 06/2025/364(1)/तीस-3-2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by
Lakku Venkateshwarlu
Date: 10-02-2025 11:01:12
(लक्ष्मण वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव ।

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 06 /2025/364/तीस-3-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2025

विषय: कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहायियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहायियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है।

2. उक्त बैठक में मा० अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि :-

- (1) उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहायी (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
- (2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।
- (3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

(4) सभी शाराफीय एवं अर्ध-शाराफीय वाहनों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।

(5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।

(7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

(8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

भवदीय,

Signed by
(मनोज कुमार सिंह)
Manoj Kumar Singh
मुख्य सचिव।
Date: 09-02-2025 14:40:52

संख्या- 06 /2025/364(1)/तीस-3-2025, तदिनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by
Lakku Venkateshwarlu
Date: 10-02-2025 14:01:12
(लक्ष्मण वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।